कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

——

क्रमांक / 2545 / छूट / तक / 2002 भोपाल, दिनांक 10.10.2002

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषयः—शासकीय अनुदान अधिनियम, 1895 के अन्तर्गत अनुदत्त भूमि पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के संबंध में।

———

यह प्रश्न उदभूत हुआ है कि शासकीय अनुदान अधिनियम, 1895 के अंतर्गत शासन द्वारा निष्पादित भूमि के अंतरण के दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क देय होगा अथवा नहीं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :—

शासकीय अनुदान अधिनियम, 1895 (Government Grants Act. 1895) की धारा 2 में इस प्रकार प्रावधानित है :—

''धारा 2— सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 में अंतरर्विष्ट को बात सरकार के द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को अथवा उसके पक्ष में भूमि अथवा इसमें के किसी हित के इससे पूर्व किये अथवा एतद पश्चात किये जाने वाले अनुदान अथवा अन्य अंतरण को लागू नहीं होगी अथवा कभी लागू नहीं समझी जायेगी।''

स्पपष्ट है कि शासकीय अनुदान अधिनियम सहपठित पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 90 के प्रावधान केवल शासन द्वारा हस्तांतरित की गई भूमि को सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 (Transfer of Property Act. 1882)

(Regehatia Act.) के प्रावधानों के तहत विमुक्त करते हे। यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रावधानों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करते है।

अतः शासकीय अनुदान अधिनियम 1895 के अन्तर्गत आने वाले अंतरण के समस्त प्रकरणों पर स्टाम्प शुल्क उसी प्रकार प्रभार्य होगा, जैसा कि अन्य अंतरण के प्रकरणों में होता है। ऐसे दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क से कोई छूट प्राप्त नहीं है।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक / 2545—ए / 32 / छूट / तक / एक / 2002 भोपाल, दिनांक 10.10.2002

प्रतिलिपि—

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग कर विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश